कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– 466 /22–2, मुरादाबाद, अगस्त– 29 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– जनपद अमरोहा में बदांयू–बिजनौर मार्ग (एन0एच0–51) कि0मी0 115.123 की दांयी पटरी पर खाता संख्या–187 के ग्राम मंसूरपुर तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा की पत्र संख्या–374 /14–1, अमरोहा दिनांक 22–08–2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना हैं कि जनपद अमरोहा में बदांयू–बिजनौर मार्ग (एन0एच0–51) कि0मी0 115.123 की दांयी पटरी पर खाता संख्या–187 के ग्राम मंसूरपुर तहसील हसनपुर में एक रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसको वन संरक्षण अधिनियम–1980 यथा संशोधित 1988 की धारा–2 के अन्तर्गत परीक्षण कर वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना हैं।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक – 3 प्रतियां।

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक– / 22–2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :– प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा वन प्रभाग अमरोहा को उनके उक्त पत्र के कम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक प्रस्ताव की प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक– यथोपरि।

(आर0 पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद